

कैम्प कार्यालय जनपद न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश निल

दिनांक: 01.04.2020

आ दे श

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित ई मेल दिनांकित 31.03.2020, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के तहत जनपद न्यायालय, एटा में समस्त न्यायालयों में दिनांक 30.03.2020 से 14.04.2020 की पत्रावलियों में लाक डाउन के दौरान तिथियाँ अग्रसारित करने हेतु निर्देश दिया गया है। पूर्व में दिनांक 23.03.2020 से 27.03.2020 तक की सभी तिथियाँ जनपद एटा के सभी न्यायालयों द्वारा नियत की जा चुकी हैं और उनकी सूचना नोटिस बोर्ड पर तथा सभी न्यायालयों द्वारा साफ्टवेयर पर अपडेट की जा चुकी हैं। दिनांक 30.03.2020 से 14.04.2020 तक निम्नांकित तिथियाँ अग्रसारित की जाती हैं—

क्रमांक	सी0आई0एस0 साफ्टवेयर में लम्बित पत्रावलियों की तिथि	सी0आई0एस0 साफ्टवेयर में अग्रसारित तिथि
1.	30.03.2020	08.05.2020
2.	31.03.2020	11.05.2020
3.	01.04.2020	12.05.2020
4.	03.04.2020	13.05.2020
5.	04.04.2020	14.05.2020
6.	06.04.2020	15.05.2020
7.	07.04.2020	16.05.2020
8.	08.04.2020	18.05.2020
9.	09.04.2020	19.05.2020
10.	10.04.2020	20.05.2020
11.	13.04.2020	21.05.2020
12.	14.04.2020	डा0अम्बेडकर जयन्ती अवकाश

उक्त तिथियाँ सिस्टम आफ़ीसर, सी0आई0एस0 साफ्टवेयर पर अपडेट कर, वादकारी व अधिवक्तागण को एस0एसम0एस0 करें। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, अध्यक्ष / सचिव कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन, एटा व सभी न्यायालयों के मुंसरिम/रीडर, कार्यालय लिपिकगण को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। केन्द्रीय नाजिर, समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ सूचना भेजें तथा गेट नं0 2,3 व 5 पर चस्पां करावें।

तदनुसार सूचित हों।

(रेणु अग्रवाल)

जनपद न्यायाधीश, एटा।

01.04.2020

योगेश पी0ए0

